संख्या-55/2021/1846ई-2/तेरह-2021-318146

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 सितम्बर,2021

विषयः- गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-18/2021/524ई-2/तेरह-2021-23/2009 दिनांक 23-02-2021 के प्रस्तर-13 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-50/2021/1658ई-2/तेरह-2021-318146 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. प्रकरण मे अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के विषय एवं प्रस्तर-1 व 2 में शासनादेश संख्या-18/2021/524ई-2/तेरह-2021-23/2009 के दिनांक 23-02-2021 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक 23-02-2019 अंकित हो गया है। अतः शासनादेश दिनांक 03-09-2021 के उक्त स्थानों पर अंकित तिथि 23-02-2019 के स्थान पर 23-02-2021 पढा जाए। शासनादेश संख्या-50/2021/1658ई-2/तेरह-2021-318146 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। प्रश्नगत शासनादेश की शेष व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव

संख्या-55(1)/2021/1846ई-2/तेरह-2021तद्नुसार

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 08-04-2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in